दौलत कुमारी वर्मा बनाम राजस्थान सरकार व वगै0

प्रार्थना पत्र संख्याः 21/2024

03.04.2024

उपरोक्त वर्णितानुसार प्रार्थीया का नाम दुरूस्त किए जाने से किसी अन्य के किसी प्रकार के अधिकार प्रभावित नही होते है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 व 2 में वर्णित कृषि भूमि के अधिकार अभिलेखों (हाल जमाबन्दी) में प्रार्थीया का नाम "उषा पुत्री प्रकाश" के स्थान पर "दौलत कुमारी वर्मा पुत्री रामप्रकाश" दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें व इस सम्बन्ध में आवश्यक आदेश अप्रार्थीगण को जारी करने की कृपा करें।

बहस प्रार्थीया सुनी गयी। बहस प्रार्थीया व संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया ने जमाबन्दी सम्वत् 2076 जिसमें प्रार्थी का नाम उषा पुत्री प्रकाश दर्ज है पेश किया। जबकि प्रार्थीया का नाम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मार्कशीट वर्ष 2012 एवं आधार कार्ड में प्रार्थीया का नाम "दौलत कुमारी वर्मा पुत्री रामप्रकाश" एवं राजस्थान सरकार के राज–पत्र दिनांक 23 नवम्बर 2023 में प्रार्थीया ने अपने पुराने नाम उषा बनाम प्रकाश को "दौलत कुमारी वर्मा पुत्री रामप्रकाश" जाने एवं पहचाने जाने बाबत् पेश किया। उक्त दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थीया की ओर से पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम प्रार्थीया के हिस्से की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम चतरपुरा उर्फ लाल्या का बास, पटवार हल्का महापुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित है, जिसके खसरा नंबर 243 क्षेत्रफल 0.0100 हैक्टेयर व खसरा नंबर 244 क्षेत्रफल 0.6100 हैक्टेयर, कुल खसरा 2 कुल क्षेत्रफल 0.6200 हैक्टेयर में प्रार्थी का हिस्सा 55/8064 है एवं प्रार्थीया के हिस्से की अन्य खातेदारी कृषि भूमि ग्राम खटवाड़ा, पटवार हल्का महापुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित है, जिसके खसरा नंबर 234/1 क्षेत्रफल 0.3700 हैक्टेयर, खसरा नंबर 236 क्षेत्रफल 0.4500 हैक्टेयर, खसरा नंबर 237 क्षेत्रफल 0.3900 हैक्टेयर, खसरा नंबर 238 क्षेत्रफल 0.5200 हैक्टेयर, खसरा नंबर 240 क्षेत्रफल 1.8200 हैक्टेयर, खसरा नंबर 241 क्षेत्रफल 0.4600 हैक्टेयर, खसरा नंबर 242 क्षेत्रफल 0.4200 हैक्टेयर व खसरा नंबर 243/1 क्षेत्रफल 0.6700 हैक्टेयर, कुल खसरा 8 कुल क्षेत्रफल 5.1000 हैक्टेयर में प्रार्थीया का हिस्सा 1/84 में प्रार्थी का नाम उषा पुत्री प्रकाश" के स्थान पर "दौलत कुमारी वर्मा पुत्री रामप्रकाश" राजस्व रिकॉर्ड में [illegible] जाने के आदेश तहसीलदार सांगानेर को दिये [illegible] है। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर [illegible] पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.05.21 15:21:55 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 03.04.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

फर्द अहकाम

दौलत कुमारी वर्मा बनाम राजस्थान सरकार व वगै0

प्रार्थना पत्र संख्या: 21/2024

क्रम संख्या	दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
	03.04.2024	प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना पत्र बाबत् नाम दुरूस्ती का अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया। प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी की प्रार्थी के हिस्से की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम चतरपुरा उर्फ लाल्या का वास, पटवार हल्का महापुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित है, जिसके खसरा नंबर 243 क्षेत्रफल 0.0100 हैक्टेयर व खसरा नंबर 244 क्षेत्रफल 0.6100 हैक्टेयर, कुल खसरा 2 कुल क्षेत्रफल 0.6200 हैक्टेयर में प्रार्थी का हिस्सा 55/8064 है। इसी प्रकार प्रार्थी के हिस्से की अन्य खातेदारी कृषि भूमि ग्राम खटवाड़ा, पटवार हल्का महापुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित है, जिसके खसरा नंबर 234/1 क्षेत्रफल 0.3700 हैक्टेयर, खसरा नंबर 236 क्षेत्रफल 0.4500 हैक्टेयर, खसरा नंबर 237 क्षेत्रफल 0.3900 हैक्टेयर, खसरा नंबर 238 क्षेत्रफल 0.5200 हैक्टेयर, खसरा नंबर 240 क्षेत्रफल 1.8200 हैक्टेयर, खसरा नंबर 241 क्षेत्रफल 0.4600 हैक्टेयर, खसरा नंबर 242 क्षेत्रफल 0.4200 हैक्टेयर व खसरा नंबर 243/1 क्षेत्रफल 0.6700 हैक्टेयर, कुल खसरा 8 कुल क्षेत्रफल 5.1000 हैक्टेयर में प्रार्थी का हिस्सा 1/84 है। उपरोक्त मद संख्या 1 व 2 में वर्णित कृषि भूमि के अधिकार अभिलेखों में प्रार्थीया का नाम उषा पुत्री प्रकाश दर्ज है। 4. यह कि प्रार्थीया के शैक्षणिक दस्तावेजों में प्रार्थीया का नाम दौलत कुमारी वर्मा पुत्री रामप्रकाश है। प्रार्थीया को दौलत कुमारी वर्मा पुत्री रामप्रकाश के साथ-साथ उषा पुत्री प्रकाश के नाम से भी जाना जाता है, इस कारण अपनी खातेदारी कृषि भूमि की जमाबन्दी में प्रार्थीया का नाम उषा पुत्री प्रकाश अंकित है। प्रार्थीया के अधिकार अभिलेखों में उक्त वर्णितानुसार शैक्षणिक दस्तावेजों के नाम से अलग नाम अंकित होने के कारण प्राथीया को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और प्रार्थीया अपनी कृषि भूमि का उपयोग नही कर पा रही है। प्रार्थीया ने अब अपना एक ही नाम "दौलत कुमारी वर्मा पुत्री रामप्रकाश" रख लिया है। इस संबंध में प्रार्थीया ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर राजस्थान सरकार के राजस्थान राज-पत्र साधारण में नवम्बर 2023 में नियमानुसार प्रकाशन करवा दिया है। अब प्रार्थीया अपनी [illegible] 1 व 2 में वर्णित कृषि भूमि में अपना नाम "उषा [illegible]" के स्थान पर "दौलत कुमारी वर्मा पुत्री रामप्रकाश" [illegible] चाहती है। प्रार्थीया ने उपरोक्त [illegible] नाम दर्ज करवाने के लिए प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 व [illegible] में वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड की प्रतियों के साथ अप्रार्थीगण को दिनांक 16.01.2024 को निवेदन किया तो उन्होने प्रार्थीया को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहां।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.05.21 15:21:56 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)